54

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3860–एक/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–4–2013 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, शाजापुर प्रकरण कमांक 41/पुनर्विलोकन/2012–13.

अन्तरसिंह पिता चन्दरसिंह
निवासी ग्राम लसुड़िया घाग
तहसील कालापीपल जिला शाजापुर .....आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा अपर कलेक्टर, शाजापुर .....अनावेदक

श्री एन0एस0 सिसौदिया, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/3/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, शाजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–4–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 114 एवं आदेश 47 नियम 2 के अंतर्गत प्रकरण कमांक 17/अ–19(4)/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 30–9–2010 के पुनर्विलोकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 15–4–2013 को आदेश पारित कर पुनर्विलोकन का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर कलेक्टर द्वारा वरिष्ठ न्यायालयों के प्रत्यावर्तन आदेशों पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि अपर कलेक्टर द्वारा संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 114 एवं आदेश 47 के प्रावधानों को आदेश पारित करने में अनदेखा किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि

अपर कलेक्टर को पुनर्विलोकन सुनने की अधिकारिता नहीं थी, तब उन्हें पुनर्विलोकन निरस्त नहीं करना चाहिए था, इस कारण भी उनके द्वारा पारित आदेश विधिसंगत नहीं है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर कलेक्टर द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन पत्र निरस्त करने में मूल आदेश दिनांक 30–9–2010 के क्योंकर पुनर्विलोकन योग्य नहीं, इसका कोई उल्लेख नही किया गया है ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 30–9–10 के विरूद्ध कलेक्टर के समक्ष संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत पुनर्विलोकन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि आवेदक को आदेश दिनांक 30–9–10 के विरूद्ध नियमानुसार सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करना चाहिए था । ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 14–5–2013 को आदेश पारित कर पुनर्विलोकन के पर्याप्त आधार नहीं होन से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । वैसे भी मुआवजा का निर्धारण होने के बाद अब विनिमय का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए अपर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर, शाजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–4–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर